संख्या-8/2018/228/60-2-18-2/3(2)/17

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 23 फरवरी, 2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में भारत सरकार द्वारा फण्डिंग पैटर्न में परिवर्तन तथा विभिन्न मदों में मानक संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-787/बा0वि0परि0/लेखा/2017-18, दिनांक 11.12.2017 एवं संख्या-928/बा0वि0परि0/लेखा/2017-18, दिनांक 30.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-11-36/2016-सीडी-।, दिनांक 23.11.2017 द्वारा किए गए केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के फण्डिंग पैटर्न में परिवर्तन एवं विभिन्न मदों के मानक में संशोधन को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

संख्या-8/2018/228(1)/60-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।